सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 509/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 21 नवम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना अहरौला

जनसेवा केन्द के मालिक से लूट करने वाले 02 वांछित लूटेरे गिरफ्तार, लूट की नगदी, एक देशी तमंचा व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद

दिनांक- 07.11.2020 को श्री मनोज गौड़ पुत्र मेवा लाल सा0 निजामपुर थाना अहरौला, आजमगढढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी कि मैं जनसेवा केन्द्र से नगदी के साथ अपने घर जा रहा था। कोर्राघाटमपुर मोड़ के पास पहुँचते ही दो बाईक सवार 03 बदमाश तमंचा दिखाते हुए मुझे घेर कर मेरे पास रखे पैसे लूट लिए जिसकी सूचना आपको दे रहे है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -175/2020 धारा 392/411 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए लूट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना प्रभारी अहरौला को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 21-11-2020 को उ0नि0 शैलेष कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र जांच पेण्डिग एहकमात तलाश वाछित अपराधी करता कस्बा माहुल मे मौजूद थे आपस मे हुई लूट के अपराधी के बारे मे बातचीत कर रहे थे कि जरिये मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि साहब तीन लोग पल्सर मोटर साइकिल से कोर्राघाटमपुर गांव के बाहर बरम बाबा के मन्दिर पर रूके है उनके पास नाजायज हथियार है यह वही लोग है जो दि0 7/11/20 को जनसेवा केन्द्र चलाने वाले व्यक्ति से 153000 लूटे थे जिस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 175/2020 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत है। अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 आपस मे एक दूसरे को अवगत कराते हुए मुखबीर खास को साथ लेकर बरम बाबा के मंदिर के तरफ चल दिये मंदिर के करीब 100 मी0 की दूरी से ही मुखबीर खास नें मंदिर पर बैठे तीनो व्यक्तियो के तरफ इशारा करके वह से हट बढ़ गया सभी पुलिस कर्मी आपस मे एक दूसरे से बातचीत करके धीरे-धीरे मंदिर के तरफ अपने आपको छिपाते हुए पहुंचे कि हम पुलिस वालो को मंदिर की तरफ आते देख तीनो व्यक्ति वहां से भागने लगे हम पुलिस वालों द्वारा दौडाकर करीब 500 मीटर दूरी पर दो व्यक्तियो को पकड लिया गया व एक व्यक्ति मौके से भाग निकला पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम मो0 आलिम पुत्र शहंशाह आलम R/O कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला जिला आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष बताया जामा तलाशी ली उसके पैंट के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल INFINIX व पैंट के बाये जेब से 14500 बरामद हुआ व दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रूदल यादव पुत्र कान्ता यादव R/Oकोर्राघाटमपुर PS अहरौला जि0 आजमगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष बताया पकड़े गये व्यक्ति का जामा तलाशी लिया गया तो पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने पैट से एक अदद तमन्चा 315 बोर व पैंट के बाये जेब से 18500 बरामद हुआ दोनो व्यक्ति से भागे हुए व्यक्ति के बारे मे पूछा गया तो बताये कि साहब मेरा साथी शेरू यादव उर्फ भोलू S/O स्व0 मिट्ठू R/O कोर्राघाटमपुर PS अहरौला आजमगढ़ है बताये। पकडे गये व्यक्तियो से भागने का कारण पूछा गया तो बताते है कि साहब जो दि0 7/11/2020 को लूट हुई थी वह हमलोगो के ही द्वारा किया गया था जो रूपये व मोबाइल लिया है यह उस व्यक्ति से लूटा गया था साहब आज हम तीनो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि कुछ दिन के लिए बाहर चले जांय कि तब तक आप लोग आकर पकड़ लिया व मंदिर पर खडी पल्सर बिना नम्बर वाहन को कब्जा पुलिस मे लेकर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रूदल S/O कान्ता यादव R/Oकार्राघाटमपुर PS अहरौला जिला आजमगढ़ के पास से बरामद तमन्चा 315 बोर के बारे सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा जो अन्तर्गत धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अपराध है पकडे गये अभियुक्तगणो का यह कृत्य सम्बन्धित मु0अ0सं0 175/2020 धारा 392/411 भादवि व 3/25 आर्मस एक्ट का दण्डनीय अपराध है अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.05 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया व बरामशुदा अवैध देशी तमन्चा के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रुदल पुत्र कान्ता यादव सा0 कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ पंजीकृत कर हिरासत पुलिस लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 -175/2020 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अहरौला आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 -182/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.आलिम पुत्र शहंशाह आलम सा0 कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

2.रुदल पुत्र कान्ता यादव सा0 कोर्राघाटमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष

बरामदगी

1- एक अदद पल्सर मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट के

2- लूट का 33000/- रूपये

3- एक अदद INFINIX मोबाइल

4- एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-उ0नि0 शैलेष कुमार यादव मय हमराह थाना-अहरौला जनपद- आजमगढ़।